उत्तराखण्ड शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–2
कार्यालय–ज्ञाप (संशोधन)

17 अक्टूबर, 2025 ई0

संख्या–338390 / XXIV-C-2 / 2025–13(06)2013–शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–171368, दिनांक 28.11.2023 द्वारा राजकीय आदर्श महाविद्यालय, देवीधूरा (चम्पावत) का नाम "शहीद सूबेदार मेजर नंदन सिंह चम्याल राजकीय महाविद्यालय, देवीधूरा (चम्पावत)" किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2– पुनः जिलाधिकारी, चम्पावत के पत्र दिनांक 10.07.2025 एवं निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 22.11.2024 के क्रम में उच्च स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त एतद्द्वारा "शहीद सूबेदार मेजर नंदन सिंह चम्याल राजकीय महाविद्यालय, देवीधूरा (चम्पावत)" के नाम में आंशिक संशोधन करते हुये महाविद्यालय का नाम "शहीद नंदन सिंह चम्याल राजकीय आदर्श महाविद्यालय, देवीधूरा (चम्पावत)" किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.11.2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 01–11–2025, भाग 1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 शिक्षा / 514–06–12–2025–25 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)